

प्रेषण,

की राधाकृष्णन एवं श्रीमती,
संघर्ष संघर्ष
उत्तर प्रदेश जीवन।

तेवा मे.

सहित
केन्द्रीय वाचनिक विधि वारिष्ठ,
किंवद्दं केन्द्रीय वाचनिक विधि
पुरीति विहीन, वह टिक्की।

विधि 171 अनुभाग

तिथि: दिनांक: ३० सितम्बर 2000-

विधि- सिल्वर लाइन एड्स, औद्योगिक ऐन स्पेन्डर होड गावियालाई जो श्रीमती
एमोडो लौट न सकता हेतु अवाराती प्रधान वश निरीत करने के लिये मे।

गठोदय,

उपर्युक्त विधि पर कुप्रे पड़ रहे वा निषेद्ध हुआ है कि सिल्वर लाइन एड्स,
श्रीद्योगिक ऐन स्पेन्डर होड गावियालाई जो श्रीमती एमोडो वह टिक्की से संबंधित
हेतु अवाराती प्रधान एवं उत्तर प्रदेश विधि जाने के लिये मैं उस राज्य तत्त्वार को विभिन्न विधियों
पुस्तिकाँओं के अधीन आवर्तित नहीं हूँ।

- १११ विध्यालय वा पर्वीकृत सोलापटी वा ताल-सभा पर कानीनीकरण करारा जायेगा।
- १२१ विद्यालय वा पर्वीकृत सभिति में विधि निर्देश द्वारा जारी एवं सदृश होगा।
- १३१ विध्यालय में जा से का द्वा प्रशिक्षण अनुसूचित जनकालि के
छवाँ के लिये गुरुवित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश वाचनिक विधि परिषद
द्वारा तंत्रजित विध्यालयों में विभिन्न व्याख्याओं के लिये नियांरित कुमा से
अधिक गुण नहीं जिया जायेगा।
- १४१ संस्कार द्वारा राज्य तत्त्वार के किसी अनुदान की वर्ति नहीं की जायेगी और
पर्वी पूर्व में विध्यालय वाचनिक विधि परिषद के अध्या वेतिक विधि परिषद
के बान्धान द्वारा दिया विध्यालय की विकास केन्द्रीय वाचनिक विधि परिषद
की सिल्वर लौट विधि के लिये विध्यालय की विकास केन्द्रीय वाचनिक विधि परिषद
होती है तो उस वर्तीवा वर्ति से उसका हेन्द्रीय वाचनिक विधि परिषद द्वारा
तिव्यि के उत्तर प्रदेश वाचनिक विधि परिषद द्वारा प्रदत्त सान्देश तथा
राज्य तत्त्वार के ग्राम अनुदान रखता लगापत होने।
- १५१ संस्कार संघर्ष एवं विभिन्न विधानियों के राजनीति साधना प्राप्त विधि
तंत्रजालों के विधानियों के अनुसन्धानों तथा उन्हें भलों के काम
विभिन्न विधान वा उन्हें भलों की विधानियों
- १६१ विधानियों को लेवा गाँव बनावो वार्दीगी और उन्हें नामांत्र द्वारा उपाप्त अवारातीय
उत्तर प्रदेश वाचनिक विध्यालयों के विधानियों वी अनुसन्धान लेवा नियुक्ति का
ताम उपाय लेवा वार्दी।

- 171 राज्य सरकार द्वारा तथा काम पर जो भी ग्राहेंगे निम्न लिये बाधें
तैस्था उनका पालन करेंगे।
- 181 विद्यालय जा रिकाई नियमित प्रश्न/परिकल्पनाओं में रखा जायेगा।
- 191 उत्तर शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुबोधन के बिना लौह परिवर्तन/
संशोधन वा परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. उक्त प्रतिक्रियों वा पालन करना तैस्था के लिये अनियाक होना और बदि
किसी भवितव्य पर पाया जाता है कि तैस्था द्वारा उक्त प्रतिक्रियों वा पालन नहीं
किया जा रहा है तब या पालन करने में किसी दृष्टार डॉ पूँछ या विविध घटकों वा
रही है तो राज्य सरकार द्वारा उद्दत्त अनापर्चित प्रश्न पर वापस जे किया
जायेगा।

भवदीप,

। व्याख्यान अधिकारी ।
तंत्रज्ञता तात्पर्य।

पृष्ठा-३००८ ११/१५-७-९९ तद दिनांक

प्रतिलिपि नियन्त्रित वै तृपत्तावी एवं अवाप्त शारीरिक देवु त्रैषिः—

१. शिक्षा निकेतन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
२. गण्डलीय तंत्रज्ञता शिक्षा निकेतन, जैरल।
३. विद्या विद्यालय निरीक्षण, गाविदाराम।
४. निरीक्षण, झाँगल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
५. पुस्तक, शिक्ष्यर लाइन राहुल, डॉल्पोर्टफ एवं सुनन्दगढ़ रोड, गाविदाराम।
६. गाई काहल।

आहा है,

223

। व्याख्यान अधिकारी ।
तंत्रज्ञता तात्पर्य।